

22⁷/₁₉

पत्रावली पेश हुई। अधिकांश पक्षकार
उपखण्ड के अपीलार्थ ही अपील स्वीकार
की गई। निर्णय पृष्ठ से लिखा जा रहा
सुनाया गया व शक्ति पत्रावली बिना
समाप्त। पत्रावली केवल सुना है। स. नम्बर
के फल है। निर्णय सुले न्यायालय में सुनाया
गया।

उपखण्ड अधिकारी

कुम्भलगढ़

जिला-राजसमन्द (राज.)

